भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1759

03 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कॉलोनियों के पुनर्विकास हेतु निवासियों का स्थानांतरण

1759 **श्री जावेद अली खानः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संपदा निदेशालय ने दिनांक 27.05.2026 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कॉलोनियों के पुनर्विकास हेतु कालीबाड़ी मार्ग, डीआईजेड क्षेत्र, बीकेएस मार्ग आदि के निवासियों के अनिवार्य रूप से स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां रहने वाले स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों हेतु निर्धारित वैकल्पिक आवासों का क्षेत्र-वार और प्रकार-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वायत्त संगठनों को वैकल्पिक आवासों की सूचियां उपलब्ध कराई हैं;

(घ) यदि हां, तो संगठन-वार और क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन संगठनों को अपने कर्मचारियों को समायोजित करने हेतु पर्याप्त संख्या में वैकल्पिक आवास कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) जी हाँ, महोदय। दिनांक 27.05.2026 के कार्यालय ज्ञापन सं. डीई/आरडीवी/कॉलोनियों का पुनर्विकास/2026 की प्रति विभाग की वेबसाइट https://esampada.mohua.gov.in/signin/Circulars. पर उपलब्ध है।

(ख) से (ङ) विवरण ऊपर (क) के अनुसार उपलब्ध है।
